

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 54/2021

1. दाताराम पुत्र भागमल जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाउ त० भादरा।

वादी

ब नाम


1. भागमल पुत्र हरखाराम जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाउ त० भादरा।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र भागमल जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाउ त० भादरा।
3. मांगीलाल पुत्र भागमल जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाउ त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बेनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं० 174/340 के खसरा सं० 277 की 4.970है० खसरा सं० 278 की 5.779है० खसरा सं० 326 की 4.123है० खसरा सं० 329 की 3.971है० खसरा सं० 397 की 10.977है० खसरा सं० 402 की 0.405है० कुल 30.225है० में प्रतिवादी सं 1 भागमल के नाम 1/4 हिस्सा वारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, मैं तन्हा प्रतिवादी सं भागमल की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 दाताराम प्रतिवादी सं० 1 भागमल प्रतिवादी सं० 2 महेन्द्रसिंह प्रतिवादी सं० 3 मांगीलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उमय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.03.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




सहाय (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएस

प्रकरण सं० : 54/2021

1. दाताराम पुत्र भागमल जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाउ त० भादरा।

:- वादी

ब न अ म

1. भागमल पुत्र हरखाराम जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाउ त० भादरा।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र भागमल जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाउ त० भादरा।
3. मांगीलाल पुत्र भागमल जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाउ त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी: वादीगण

वकील श्री सुरेन्द्र बेनिवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 26.03.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं० 174/340 के खसरा सं० 277 की 4.970 है० खसरा सं० 278 की 5.779 है० खसरा सं० 326 की 4.123 है० खसरा सं० 329 की 3.971 है० खसरा सं० 397 की 10.977 है० खसरा सं० 402 की 0.405 है० कुल 30.225 है० में प्रतिवादी सं० 1 भागमल के नाम 1/4 हिस्सा बरानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा हरखाराम की खातेदारी हुआ करती थी। हरखाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 भागमल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 द्वारा पेश की गई पत्रों से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं० 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 दाताराम पुत्र भागमल जाति खाती निवासी कणाउ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाउ खाता सं० 174/340 संवत् 2072-75 प्रदर्श 1 नामान्तरण दिनांक 11.03.2015 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।


हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाउ खाता सं० 174/340 संवत् 2072-75 प्रदर्श 1 नामान्तरण दिनांक 11.03.2015 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार भागमल के तीन पुत्र दाताराम, महेन्द्रसिंह, मांगीलाल तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं० 174/340 के खसरा सं० 277 की 4.970है० खसरा सं० 278 की 5.779है० खसरा सं० 326 की 4.123है० खसरा सं० 329 की 3.971है० खसरा सं० 397 की 10.977है० खसरा सं० 402 की 0.405है० कुल 30.225है० में प्रतिवादी सं 1 भागमल के नाम 1/4 हिस्सा बरानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं भागमल की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 दाताराम प्रतिवादी सं० 1 भागमल प्रतिवादी सं० 2 महेन्द्रसिंह प्रतिवादी सं० 3 मांगीलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक (सत्यमसर्वण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़